न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 77/2019

उनवान

भंवरलाल पुत्र जीवण जाति जाट नि0 नान्दला, नसीराबाद
—वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरियें राज. पैरोकार
2. रतनी पत्नी कानाराम,
3. रजनी,
4. गायत्री,
5. कविता,
6. मुकेश पि0 कानाराम,
7. नारायणी पत्नी रामरतन,
8. सुरेश,
9. भोमी पि0 रामरतन,
10. रामप्रसाद पुत्र जीवण,
11. फुतरी पत्नी जीवण,
12. रायचन्द पुत्र घीसा जाति जाट नि0 नान्दला, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 5/8/25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला की निम्न आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की है :–

वंकिंग खसरा नम्बर	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1047	936	0.57
1048	932	0.30
	933	0.18
	934	0.02
1072	934	0.05
	935	[illegible]
	938	0.30

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:23 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजी पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। [illegible]

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुतनाजा के साबिक खसरा नम्बर 1072 जो कि वर्तमान में सिवायचक दर्ज है को हाल राजस्व मानचित्र में मुख्य सडक के पास अंकित कर दिया जबकि वंर्किग राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर दूर था। उसके आगे खसरा नम्बर 1047 व 1048 दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि दौराने बंदोबस्त हाल नक्शा तरमीम करते समय हाल खसरा नम्बर 938 अलग तरमीम कर दिया है। आराजी मुतनाजा वादी की कयशुदा खातेदारी की है। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी वादी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः हाल राजस्व मानचित्र में तरमीम सही कर प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 1047 व 1072 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नमबर 1048 मिन रकबा 2–3–10 नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 03.01.1996 से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम दर्ज हुआ तथा वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मिन रकबा 1–16–10 सिवायचक खाते में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 932 रकबा 0.30 सिवायचक दर्ज है। वंर्किग नक्शा में वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मुख्य सडक से लगता हुआ है। तथा पूर्व नक्शे अनुसार हाल खसरा नम्बर 932 भी मुख्य सडक से लगता हुआ है। वंर्किग व हल राजस्व मानचित्र में कोई भिन्नता नही है। वाद पत्र में खसरा नम्बर 938 अंकित है जो गलत है। खसरा नम्बर 938 के स्थान पर खसरा नम्बर 932 अंकित होना था। वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मिन जिसके हाल खसरा नम्बर 932 है पूर्व व वर्तमान में सिवायचक है जिस पर धारा 91 की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद निरस्त किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने दुरूस्त योग्य है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। राज. पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णाय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादी का कथन है कि आराजी मुतनाजा के साबिक खसरा नम्बर 1072 जो कि वर्तमान में सिवायचक दर्ज है को हाल राजस्व मानचित्र में मुख्य सडक के पास अंकित कर दिया जबकि वंर्किग राजस्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर दूर था। उसके आगे खसरा नम्बर 1047 व 1048 दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि दौराने बंदोबस्त हाल नक्शा तरमीम करते समय हाल खसरा नम्बर 938 अलग तरमीम कर दिया है। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वंर्किग खसरा नम्बर 1047 व 1072 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नमबर 1048 मिन रकबा 2–3–10 नामान्तकरण संख्या 61 दिनांक 03.01.1996 से वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के नाम दर्ज हुआ तथा वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मिन रकबा 1–16–10 सिवायचक खाते में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 932 रकबा 0.30 सिवायचक दर्ज है। वंर्किग नक्शा में वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मुख्य सडक से लगता हुआ है। तथा पूर्व नक्शे अनुसार हाल खसरा नम्बर 932 भी मुख्य सडक से लगता हुआ है। वंर्किग व हल राजस्व मानचित्र में कोई भिन्नता नही है। वाद पत्र में खसरा नम्बर 938 अंकित है जो गलत है। खसरा नम्बर 938 के स्थान पर खसरा नम्बर 932 अंकित होना था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:08:23 IST
Reason: SelfAttested

वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मिन जिसके हाल खसरा नम्बर 932 है पूर्व व वर्तमान में सिवायचक है जिस पर धारा 91 की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद निरस्त किया जावे। उक्तानुसार स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 932 के स्थान पर वाद में त्रुटिपूर्ण तरीके से खसरा नम्बर 938 अंकित कर दिया है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 932 मुख्य सडक से लगता हुआ है। हाल खसरा नम्बर 932 रकबा 0.30 वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मिन रकबा 1–16–10 से बना है। वंर्किग मानचित्र में वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मुख्य सडक से लगता हुआ ही अंकित है। वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मिन रकबा 2–3–10 भूमि वादी पक्ष को आवंटित हुयी थी। जिसके हाल खसरा नमबर 933 रकबा 0.18 व 934 रकबा 0.02 वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी की खातेदारी में है। तथा उक्त हाल खसरा नम्बर 932, 933 व 934 सिवायचक खसरा नम्बर का रकबा निकालने के बाद वंर्किग मानचित्र अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में सही अंकित है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे सिद्व होता हो कि वंर्किग खसरा नम्बर 1048 के मुख्य सडक की तरफ का हिस्सा उन्हे आंवटित हुआ हो। वादी का कथन है कि साबिक खसरा नमबर 1072 सिवायचक सडक से दूर था जिसे नजदीक दिखा दिया गया है। किन्तु वंर्किग खसरा नम्बर 1072 जिसके हाल खसरा नम्बर 934, 935 व 938 बने है को वंर्किग मानचित्र अनुसार मुख्य सडक से दूर अंकित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत हाल राजस्व मानचित्र में हाल खसरा नम्बर 938 अंकित कर दिया है जबकि मानचित्र में खसरा नम्बर 938 के स्थान पर 932 अंकित है। हाल खसरा नम्बर 932 वंर्किग मानचित्र 1048 का हिस्सा है जो पूर्व राजस्व मानचित्र अनुसार सही स्थान पर अंकित है। वादी ने अपना वाद अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर पेश किया है। हाल व पूर्व मानचित्र के अवलोकन व दस्तावेज से किसी प्रकार की त्रुटी सिद्व नही होती है। साथ ही हाल खसरा नम्बर 932 रकबा 0.30 वंर्किग खसरा नम्बर 1048 मिन रकबा 1–16–10 पूर्व में भी सिवायचक होने के कारण वादी की कयशुदा सिद्व नही होती है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार गाम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 932 रकबा 0.30 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरलाल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :–88, 188 राज. का. अधि0 1955, 131 भू रा0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 77 / 2019
पेश करने की दिनांक – 04.07.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई अभिभाषक जितेन्द्र गुर्जर राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

गाम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 932 रकबा 0.30 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 5 दिनांक माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:18:23 IST
Reason: SelfAttested